न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा

पीठासीन अधिकारीः– चन्द्रशेखर भण्डारी, RAS

प्रकरण सं. 22/2021 वाद
GCMS NO.- 2021/36

श्रीमती कंकू देवी पत्नी बंशीलाल टांक आयु 65 वर्ष निवासी निम्बाहेड़ा।

– वादीया

//बनाम//

1. श्री भोपराज पिता बंशीलाल टांक आयु 45 वर्ष निवासी धनोरा हा0मु0 निम्बाहेड़ा तह0 निम्बाहेड़ा राज0।
2. अजय पिता बंशीलाल टांक आयु 35 वर्ष निवासी निम्बाहेड़ा तह0 निम्बाहेड़ा राज0।
3. विजय पिता बंशीलाल टांक आयु 30 वर्ष निवासी निम्बाहेड़ा तह0 निम्बाहेड़ा राज0।
4. बंशीलाल पिता पृथ्वीराज टांक आयु 76 वर्ष निवासी निम्बाहेड़ा तह0 निम्बाहेड़ा राज0।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेड़ा राज0।

– प्रतिवादीगण

दावा
अन्तर्गत धारा 88, 188 रा.का.अधि.
श्री अनुराग ओझा, अधिवक्ता वादीया, उपस्थित
श्री कौशल भराड़िया, अधिवक्ता प्रतिवादीगण, उपस्थित

निर्णय दिनांकः– 23.03.2021

संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि वादीया ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 रा0का0अधि0 का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वाके मौजा धनोरा पटवार हल्का फलवा तहसील निम्बाहेड़ा की खाता संख्या 178 की आराजी नं. 206, 207, 208, 211, 234, कुल कीता 5 कुल रकबा 3.4600 हैक्टेयर भूमि स्थित है। उक्त भूमि प्रतिवादी क्रमांक 4 एवं वादीया तथा प्रतिवादी क्रमांक 4 श्री बंशीलाल के नुत्फे से उत्पन्न पुत्र स्व0 राहुल के नाम 1/2-1/2 हिस्से में दर्ज रेकार्ड है। दिनांक 04.08.2018 को मेरे पुत्र राहुल का सड़क दुर्घटना में आकस्मिक निधन हो गया उसके निधन के उपरान्त वादिया उसके हिस्से की भूमि पर काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है परन्तु प्रतिवादीगण आपस में साजिश रचकर मेरे पुत्र राहुल की भूमि को हड़पने की नियत से उक्त भूमि में अपना नाम दर्ज कराना चाहते है जबकि प्रतिवादी को ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है, वैसे भी हिन्दू विधि के अनुसार उत्तराधिकार अधिनियम के तहत मैं वादिया उसकी माता होने से उसकी प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारीणी बनती हू। परन्तु प्रतिवादीगण 1 से 3 एवं 4 आपस में मिली भगत कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Chandra Shekhar Bhandari
Date: 2021.06.17 18:25:51 IST
Reason: SelfAttested

राहुल का हिस्सा अपने नाम दर्ज करा उक्त हिस्से को खुर्द बुर्द करने पर आमादा हो रहे है। जब मैंने प्रतिवादीगण से ऐसा नहीं करने एवं राहुल की माता होने से उसका हिस्सा स्वयं के नाम कराने हेतु कहा तो प्रतिवादीगण आना कानी करने लगे और वादिया के नाम भूमि दर्ज कराने से स्पष्ट रूप से इंकार कर दिया। वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित आराजियात जिसमें वादिया के पुत्र राहुल का 1/2 हिस्सा अंकित है को विरासत से प्रथम श्रेणी वारिस होने से अपने नाम दर्ज कराने हेतु प्रतिवादी क्रमांक 5 को दिनांक 14.01.2019 को लिखित में एक आवेदन भी दिया जिस पर उन्होने शीघ्र ही कार्यवाही नहीं की जिससे मजबूर होकर यह दावा घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत करना पड़ रहा है। वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि विवादित आराजियात में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्रथम श्रेणी की वारिस होने से स्व0 राहुल का 1/2 हिस्सा वादिया के नाम घोषित किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण मय अधिवक्ता उपस्थित होकर इकबाली जवाबदावा प्रस्तुत किया तथा वादीया के कथनों को स्वीकार करते हुए राजीनामा प्रस्तुत किया। उभय पक्ष ने राजीनामें अनुसार वादीया का वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया। राजीनाम तस्दीक कर शामिल पत्रावली किया गया।

बहस सुनी गई। मिसल का अवलोकन करते हुए पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। दस्तावेजी साक्ष्य में वादीया ने नकल जमाबन्दी संवत 2077-80 ग्राम धनोरा प0ह0 फलवा की खाता संख्या 178 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की है। जमाबन्दी अनुसार उक्त भूमि वर्तमान में प्रतिवादी नं. 4 बंशीलाल पुत्र पृथ्वीराज टांक के 1/2 हक हिस्सा एवं राहुल पुत्र बंशीलाल टांक के 1/2 हक हिस्स दर्ज रेकार्ड है। वादिया ने अपने पुत्र राहुल की दिनांक 04.08.2018 को सड़क दुर्घटना में निधन होना बताया है। वादीया ने हिन्दू उत्तराधिकार के तहत प्रथम श्रेणी की वारिस होने से अपने पुत्र स्व0 राहुल का राजस्व रेकार्ड दर्ज 1/2 हक हिस्सा अपने नाम घोषित कराना चाहा है तथा प्रतिवादीगण राजीनामा अनुसार स्व0 राहुल का हक हिस्सा वादिया के नाम दर्ज कराने हेतु सहमत है। वादीया का दावा राजीनामें अनुसार डिक्री योग्य है।

अतः वाद वादीया राजीनामें अनुसार कतई डिक्री किया जाता है। विवादित भूमि वाके मौजा धनोरा पटवार हल्का फलवा तहसील निम्बाहेड़ा की खाता संख्या 178 की आरा[illegible] 208, 211, 234, कुल कीता 5 कुल रकबा 3.4600 हैक्टेयर [illegible] राहुल पिता पृथ्वीराज टांक के नाम दर्ज 1/2 हक हि[illegible] वादिया [illegible] पत्नी बंशीलाल टांक के नाम घोषित किया जाता है। उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। बैंक रहन यथावत रखा जावे। [illegible] फरिकेन अपना अपना वहन करें। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Chandra Shekhar Bhandari
Date: 2021.06.17 18:25:31 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 23.03.2021 को निर्णय सरे इजलास सुनाया जाकर कम्प्युटराईज कराया गया।

23/3/21
(चन्द्रशेखर भण्डारी)
उपखण्ड अधिकारी

मूल वाद में अन्तिम डिक्री

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी निम्बाहेड़ा

पीठासीन अधिकारीः— चन्द्रशेखर भण्डारी, RAS

प्रकरण सं. 22/2021 वाद
GCMS NO.- 2021/36

श्रीमती कंकू देवी पत्नी बंशीलाल टांक आयु 65 वर्ष निवासी निम्बाहेड़ा।

— वादीया

//बनाम//

1. श्री भोपराज पिता बंशीलाल टांक आयु 45 वर्ष निवासी धनोरा हा0मु0 निम्बाहेड़ा तह0 निम्बाहेड़ा राज0।
2. अजय पिता बंशीलाल टांक आयु 35 वर्ष निवासी निम्बाहेड़ा तह0 निम्बाहेड़ा राज0।
3. विजय पिता बंशीलाल टांक आयु 30 वर्ष निवासी निम्बाहेड़ा तह0 निम्बाहेड़ा राज0।
4. बंशीलाल पिता पृथ्वीराज टांक आयु 76 वर्ष निवासी निम्बाहेड़ा तह0 निम्बाहेड़ा राज0।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेड़ा राज0।

— प्रतिवादीगण

दावा
अन्तर्गत धारा 88, 188 रा.का.अधि.

प्रकरण में आज दिनांक को वादीया की ओर से अधिवक्ता श्री अनुराग ओझा तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की ओर से अधिवक्ता श्री कौशल भराड़िया की उपस्थिति में पत्रावली अन्तिम बहस के लिए प्रस्तुत होने पर आदेश दिया जाता है कि वाद वादीया राजीनामें अनुसार कतई डिक्री किया जाता है। विवादित भूमि वाके मौजा धनोरा पटवार हल्का फलवा तहसील निम्बाहेड़ा की खाता संख्या 178 की आराजी नं. 206, 207, 208, 211, 234, कुल कीता 5 कुल रकबा 3.4600 हैक्टेयर भूमि में राहुल पिता पृथ्वीराज टांक के नाम दर्ज 1/2 हक हिस्सा वादिया कंकू देवी पत्नी बंशीलाल टांक के नाम घोषित किया जाता है। उपर्युक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। बैंक रहन यथावत रखा जाकर पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

यह आज तारीख 23.03.2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Chandra Shekhar Bhandari
Date: 2021.06.17 18:25:31 IST
Reason: SelfAttested

(चन्द्रशेखर भण्डारी)
उपखण्ड अधिकारी,
निम्बाहेड़ा